न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1826 / 2017(2021 / 01410)

शिवसिंह पुत्र श्री चन्दसिंह जाति राजपूत निवासी बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर ——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर —— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 13.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बिसुन्दनी** की जमाबन्दी संवत **2069—72** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
293—280	2275	0.04	गै.मु.चाह
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.4 है.	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम बतौर खातेदार अंकन हो रखी है । उक्त आराजी वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.7.95 को विक्रेता खातेदार नारंगी पुत्री बरदा जाति दरोगा निवासी बिसुन्दनी से खरीदकर कब्जा काश्त स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है। खरीदशुदा आराजी की वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 में किस्म तालाबी द्वितीय अंकित की हुई है। तथा उक्त आराजी की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में एवं विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 12.1.96 में किस्म तालाबी द्वितीय ही अंकित हो रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों /अधिकारीयों की गलती व सहवन से उक्त आराजी में किस्म परिवर्तन कर आधार जमाबन्दी में गै.मु.चाह अंकन कर दिया जो कईत गलत है। जबकि प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी की किस्म गै.मु. तालाबी द्वितीय है। उक्त आराजी का प्रार्थी के नाम नामान्तकरण संख्या 81—12.1.96 स्वीकृत हो रखा है। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र के अनुरूप नक्शाट्रेस अनुसार किस्म गै.मु.चाह के स्थान पर किस्म तालाबी द्वितीय का अंकन किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिंनाक 20.7.2017 को लेने से जानकारी हुई जिससे वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः दावा डिकी कियों जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से जवाब सरकार पेश हुआ जवाब मे बताया कि वर्तमान खसरा नम्बर 2275 के पुराने नम्बर 725 मि.है जिसकी किस्म तालाबी द्वितीय थी वर्किंग जमाबन्दी में 725 बरदा पुत्र [illegible] के नाम दर्ज थी। जो कि नामान्तकरण संख्या 27—18.5.95 से जरिये वसियत बरदा [illegible] स्थान पर नारंगी पुत्री बरदा दरोगा का अंकन हुआ। व जरिये नामा[illegible] 96 जरिये विक्रय पत्र नारंगी के स्थान पर खसरा नम्बर 725 रकबा 1—5—10 बिस्वांसी [illegible] से 5 बिस्वा भूमि शिवसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

चन्दसिंह राजपूत निवासी बिसुन्दनी के नाम से अंकन हुआ । विक्रय पत्र अनुसार 725 में से पूर्वी हिस्सा बेचान किया गया । वर्तमान मे उपरोक्त खसरा नम्बर 725 के उत्तरी पूर्वी कोने में 20 गुणा 20 वर्गमीटर शिवसिंह पुत्र चन्द सिंह ने मकान बना रखा है। जो कि पूर्व खसरा नम्बर 725 के उत्तरी पूर्वी कोने मे 2275 की तरमीम न होकर पूर्वी दिशा मे नियमानुसार तरमीम कर दी गई।जो कि उपरोक्त खसरा नम्बर 2275 की तरमीम उत्तरी कोने में किया जाना व 2275 की किस्म तालाबी द्वितीय किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी को सुना व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब में अंकित कथनो को दोहराया । प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया है। जिससे प्रकरण धारा 89 काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं पाया गया । प्रस्तुत प्रकरण धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिसुन्दनी की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 293–280 ख.न. 2275 रकबा 0.04 है. में कॉलम स. 7 में वर्णित गै.मु. चाह के स्थान पर तालाबी द्वितीय का अंकन किया जावें , पूर्व खसरा नम्बर 725 के उत्तरी पूर्वी कोने में 2275 की तरमीम न होकर पूर्वी दिशा मे नियमानुसार तरमीम कर दी गई, जो कि उपरोक्त खसरा नम्बर 2275 की तरमीम उत्तरी कोने में किया जाना व 2275 की किस्म तालाबी द्वितीय का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। बाकि इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को केम्प कुशायता मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner